पुलिस उपायुक्त कार्यालय, काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी।

प्रेस नोट

दिनांक 12.05.2024

विषयः-15000 का ईनामिया शातिर अभियुक्त थाना लंका पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार, गैंगस्टर समेत दर्ज हैं कई अभियोग ।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा वांछित, पुरस्कार घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी एवं घटित होने वाले अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने के क्रम में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में पुलिस उपायुक्त, काशी जोन, कमिश्नरेट वाराणसी के निर्देशन में व अपर पुलिस उपायुक्त, काशी जोन, कमिश्नरेट वाराणसी व सहायक पुलिस आयुक्त भेलूपुर के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी लंका के कुशल नेतृत्व में दिनांक 12.05.2024 को लंका पुलिस टीम द्वारा जजेज गेस्ट हाउस के पास, सामने घाट से 01 नफर ईनामिया अभियुक्त रमाशंकर यादव पुत्र स्व0 बिरजू यादव निवासी म0नं0 बी-30/55 नगवा, थाना लंका, वाराणसी उम्र 48 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना विवरणः-

दिनांक 12.05.2024 को प्रभारी निरीक्षक लंका के नेतृत्व में थाना लंका पुलिस बल द्वारा शान्ति व्यवस्था ड्यूटी, वाहन चेकिंग एवं वांछित/ पुरस्कार घोषित अभियुक्तों की तलाश के दौरान अभियुक्त रमाशंकर यादव पुत्र स्व0 बिरजू यादव उपरोक्त जजेज गेस्ट हाउस के सामने सड़क पर मुरारी चौक की ओर से पैदल आता हुआ जिसकी पहचान सुनिश्चित करते हुए पकड़ लिया गया। अभियुक्त रमाशंकर यादव पुत्र स्व0 बिरजू यादव निवासी म0नं0 बी-30/55 नगवा, थाना लंका, वाराणसी उपरोक्त थाना लंका पर पंजीकृत मु0अ0सं0 44/2024 धारा 419/420/467/468 /471/506 भा0द0वि0 का वांछित अभियुक्त है जिसके विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा एन0बी0डब्लू0 जारी किया गया है तथा अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध श्रीमान पुलिस उपायुक्त जोन काशी महोदय द्वारा 15000 रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया है।

पूछताछ विवरण-

अभियुक्त पूछताछ पर बता रहा है कि इसका मुख्य पेशा कूटरचित दस्तावेज तैयार कर जमीन बेचने व बैनामा कराने आदि बाते बताकर लोगों से पैसे ले लेना तथा बैनामा व रजिस्ट्री न करना तथा मांगने पर डराना धमकाना आदि कार्य किये जाते हैं तथा इसके विरुद्ध थाना स्थानीय पर गैंगस्टर सहित विभिन्न धाराओं में अभियोग पंजीकृत हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम-पता-

1. रमाशंकर यादव पुत्र स्व0 बिरजू यादव निवासी म0नं0 बी-30/55 नगवा, थाना लंका, वाराणसी उम्र 48 वर्ष।

गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान- दिनांक गिरफ्तारी 12.05.2024 को जजेज गेस्ट हाउस के पास सामने घाट, थाना क्षेत्र लंका, कमि0 वाराणसी।

पंजीकृत अभियोग का विवरण -

- मु0अ0सं0 44/2024 धारा 419/420/467/468 /471/506 भा0द0वि0 थाना लंका, कमि0 वाराणसी।

आपराधिक इतिहास-

- मु0अ0सं0-74/2024-धारा-120बी/147/419/420/427/467/468/471/504/506 भा0द0वि0 थाना लंका, कमि0 वाराणसी।
- मु0अ0सं0-120/2023 धारा-147/323/336/406/420/427/504/506 भा0द0वि0 थाना लंका, कमि0 वाराणसी।
- मु0अ0सं0 152/2023 धारा 120बी/323/406/419/420/467/471/504/506 भा0द0वि0 थाना लंका, कमि0 वाराणसी।
- मु0अ0सं0 154/2023 धारा 147/323/406/420/504/506 भा0द0वि0 थाना लंका, कमि0 वाराणसी।
- मु0अ0सं0 184/2023 धारा 406/420 भा0द0वि0 थाना लंका, कमि0 वाराणसी।
- मु0अ0सं0 204/2023 धारा 147/323/406/420/504 भा0द0वि0 थाना लंका, कमि0 वाराणसी।
- मु0अ0सं0 519/2023 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट, थाना लंका, कमि0 वाराणसी।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम

1. शिवाकान्त मिश्र, प्रभारी निरीक्षक थाना लंका, कमिश्नरेट वाराणसी।
2. उ0नि0 श्री प्रशान्त शिवहरे, थाना लंका, कमिश्नरेट वाराणसी।
3. का0 आशीष तिवारी, थाना लंका, कमिश्नरेट वाराणसी।
4. का0 हृदय कुमार, थाना लंका, कमिश्नरेट वाराणसी।
5. का0 अमित शुक्ला, थाना लंका, कमिश्नरेट वाराणसी।
6. का0 सूरज कुमार, थाना लंका, कमिश्नरेट वाराणसी।
7. का0 कृष्णकान्त पाण्डेय, थाना लंका, कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल

पुलिस उपायुक्त, कार्यालय

जोन काशी कमिश्नरेट वाराणसी